अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1615.00	16.50	1631.50	1615.00	15.50	1630.50	2485.00	15.37	2500.37
पूंजी		*125.00*	*...*	*125.00*	*125.00*	*...*	*125.00*	*115.00*	*...*	*115.00*
जोड़		**1740.00**	**16.50**	**1756.50**	**1740.00**	**15.50**	**1755.50**	**2600.00**	**15.37**	**2615.37**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.50	7.24	7.74	0.50	7.02	7.52	0.50	6.60	7.10
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
2. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान सहायता	2225	115.00	...	115.00	115.00	...	115.00	125.00	...	125.00
3. अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम	2225	10.44	...	10.44	10.44	...	10.44	13.00	...	13.00
	3601	0.24	...	0.24	0.24	...	0.24	0.35	...	0.35
	3602	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.15	...	0.15
	जोड़	*10.80*	*...*	*10.80*	*10.80*	*...*	*10.80*	*13.50*	*...*	*13.50*
4. अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन की विकास स्कीमें	2225	12.70	...	12.70	12.70	...	12.70	21.50	...	21.50
5. पूर्व-स्नातक एवं स्नतकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी	3601	88.75	...	88.75	88.75	...	88.75	119.82	...	119.82
पाठ्यक्रमों के लिए	3602	1.11	...	1.11	1.11	...	1.11	1.50	...	1.50
योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियां	2225	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.18	...	0.18
	जोड़	*90.00*	*...*	*90.00*	*90.00*	*...*	*90.00*	*121.50*	*...*	*121.50*
6. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	3601	176.99	...	176.99	176.99	...	176.99	400.00	...	400.00
	3602	2.58	...	2.58	2.58	...	2.58	4.00	...	4.00
	2225	0.43	...	0.43	0.43	...	0.43	1.00	...	1.00
	जोड़	*180.00*	*...*	*180.00*	*180.00*	*...*	*180.00*	*405.00*	*...*	*405.00*
7. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति	3601	132.79	...	132.79	132.79	...	132.79	234.50	...	234.50
	3602	1.91	...	1.91	1.91	...	1.91	3.00	...	3.00
	2225	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	1.00	...	1.00
	जोड़	*135.00*	*...*	*135.00*	*135.00*	*...*	*135.00*	*238.50*	*...*	*238.50*
8. चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के	3601	873.00	...	873.00	873.00	...	873.00	1223.20	...	1223.20
लिए बहु-क्षेत्रीय विकास	3602	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	12.00	...	12.00
कार्यक्रम	2225	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	10.00	...	10.00
	जोड़	*889.50*	*...*	*889.50*	*889.50*	*...*	*889.50*	*1245.20*	*...*	*1245.20*
9. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद	3601	0.05	...	0.05	...	...	...	0.01	...	0.01
राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	3602	0.05	...	0.05	...	...	...	0.01	...	0.01
	2225	13.40	...	13.40	13.50	...	13.50	26.98	...	26.98
	जोड़	*13.50*	*...*	*13.50*	*13.50*	*...*	*13.50*	*27.00*	*...*	*27.00*
10. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम(एनएमडीएफसी)कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे राज्य सरणीकरण अभिकरणों (एससीए) को सहायता अनुदान	2225	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	3.60	...	3.60
जोड़ - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		**1448.30**	**...**	**1448.30**	**1448.30**	**...**	**1448.30**	**2200.80**	**...**	**2200.80**
अन्य सामाजिक सेवाएं										
11. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2250	...	1.98	1.98	...	1.91	1.91	...	2.00	2.00
12. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2250	...	5.28	5.28	...	5.05	5.05	...	5.26	5.26
जोड़ - अन्य सामाजिक सेवाएं		**...**	**7.26**	**7.26**	**...**	**6.96**	**6.96**	**...**	**7.26**	**7.26**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
13. अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना	2235	7.10	...	7.10	7.10	...	7.10	13.30	...	13.30
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
	जोड़	*7.20*	*...*	*7.20*	*7.20*	*...*	*7.20*	*13.50*	*...*	*13.50*

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2009-2010 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	संशोधित 2009-2010 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट 2010-2011 बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
14. वक्फ को सहायता अनुदान	2235	...	1.98	1.98	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
15. राज्य वक्फ बोर्ड के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण	2235	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	11.70	...	11.70
16. केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान	2235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
17. राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	2225	...	...	...	...	...	...	0.25	...	0.25
	2235	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	0.05	...	0.05
	3601	...	...	...	...	...	...	5.50	...	5.50
	3602	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*6.30*	*...*	*6.30*
18. विदेश में अध्ययनों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज आर्थिक सहायता	2235	...	...	...	...	...	...	1.80	...	1.80
19. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप	2225	...	...	...	...	...	...	0.40	...	0.40
	2235	...	...	...	...	...	...	0.40	...	0.40
	3601	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	3602	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*0.90*	*...*	*0.90*
20. लघु अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2235	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
21. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	112.50	...	112.50	112.50	...	112.50	103.50	...	103.50
जोड़ - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**128.70**	**2.00**	**130.70**	**128.70**	**1.52**	**130.22**	**138.70**	**1.51**	**140.21**
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक-मुश्त प्रावधान	2552	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	248.50	...	248.50
	4552	12.50	...	12.50	12.50	...	12.50	11.50	...	11.50
	जोड़	*162.50*	*...*	*162.50*	*162.50*	*...*	*162.50*	*260.00*	*...*	*260.00*
कुल जोड़		***1740.00***	***16.50***	***1756.50***	***1740.00***	***15.50***	***1755.50***	***2600.00***	***15.37***	***2615.37***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
21. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	22225	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	115.00	...	115.00

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1448.30	...	1448.30	1448.30	...	1448.30	2200.80	...	2200.80
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	128.70	...	128.70	128.70	...	128.70	138.70	...	138.70
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	162.50	...	162.50	162.50	...	162.50	260.00	...	260.00
जोड़ - केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		**1740.00**	**...**	**1740.00**	**1740.00**	**...**	**1740.00**	**2600.00**	**...**	**2600.00**

1. **सचिवालय :** यह प्रावधान अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. **मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान :** मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, लाभ न कमाने वाली, सामाजिक सेवा संस्था है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रतिष्ठान की आय का एक मात्र स्रोत भारत सरकार द्वारा दी गई संचित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज राशि है। प्रतिष्ठान की योजनाएं वर्तमान संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए हैं।

3. **निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना :** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करके उनकी सहायता करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र की नौकरियों में तथा ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें। इसमें अभ्यर्थियों को अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान भी है।

4. **अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना :** इस योजना का उद्देश्य, 15-सूत्री कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं और कार्यक्रमों का अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है।

5. **पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां :** यह छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योग्यता-सह-साधन की पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

6. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति :** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

7. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो 11वीं तथा 12वीं कक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए योग्यता-सह-साधन की पात्रता मानदंड पूरा करते हों। यह छात्रवृत्ति उन पात्र छात्रों को भी प्रदान की जाएगी, जो किसी समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एचडी स्तर की सामान्य पाठ्यक्रम की शिक्षा पूरी करना चाहते हों।

8. **अल्पसंख्यक बहुल चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :** यह विशेष क्षेत्र विकास योजना है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित उन 90 जिलों में एक आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा "अल्प विकास" की समस्या का समाधान करना है, जिन में अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी आबादी है जो अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं।

9. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति :** इस स्कीम का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों के एसफिल और पीएचडी स्तर पर उच्च अध्ययन करने के लिए उन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस स्कीम में यूजीसी अधिनियम की दारा 2 (च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। यह अध्येतावृत्ति नियमित और पूर्णकालिक एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले अनुसंधान के छात्रों को दी जाने वाली अध्येतावृत्ति के पैटर्न पर होगी।

10. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यक्रम के कार्यान्वयन कार्य में लगे राज्य सरणीकरण अभिकरणों को सहायता अनुदान :** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राज्य सरणीकरण अभिकरणों के माध्यम से कार्य करता है। ये राज्य सरणीकरण अभिकरण अवसंरचना, श्रम शक्ति और संसाधनों के अभाव से ग्रस्त हैं, जिस कारण ये अपना कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे। इन राज्य सरणीकरण अभिकरणों को अपनी कार्यक्षमता और कार्य संचालन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

11 और 12. **अन्य समाजिक सेवाएं :** यह प्रावधान, भाषाई अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में विशेष अधिकारी के व्यय की पूर्ति के लिए है।

13. **अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजनाः** सच्चर समिति रिपोर्ट में इस तथ्य का विशेष उल्लेख है कि 13.83 करोड़ की आबादी वाले भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह मुस्लिमों को विकास पथ से अलग रखा गया है। इस समूह में मुस्लिम महिलाएं अत्यधिक उपेक्षित एवं लाभ वंचित हैं। विकास कार्य का लाभ इन वंचित महिलाओं को भी पहुंचे, यह सुनिश्चत करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से ऐसी महिलाओं को मदद और नेतृत्व-प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि वे अपने घर-समाज से बाहर आकर सेवा, कौशल और अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आकर अपनी नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।

14. **वक्फ् को सहायता अनुदानः** यह योजना केन्द्रीय वक्फ परिषद के लिए शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान देने हेतु आशयित है।

15. **राज्य वक्फ् बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरणः** इस नई योजना का कार्यान्वयन वक्फों से सम्बद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 9वें प्रतिवेतन में की गयी अनुशंसाओं के अनुसरण में किया जाना है। इस योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक को अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

16. **केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान :** यह केन्द्रीय वक्फ परिषद के प्रशासनिक व्यय के लिए आशायित है।

17. **राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरणः** इस नई योजना का कार्यान्वयन वक्फों से सम्बद्ध संसदीय समिति द्वारा 9वें प्रतिवेतन में की गई अनुशंसाओं के अनुसरण में आरंभ करने का प्रस्ताव है। स्कीम के तहत राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है। राज्य वक्फ बोर्डों के निष्पादन में सुधार के साथ वक्फ सम्पत्तियां संसाधन सृजन करने में सहायता कर सकेंगी, तब इनका उपयोग निर्धन मुस्लिमों के लिए किया जा सकता है।

18. **विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण संबंधी ब्याज सब्सिडीः** इस नई योजना का कार्यान्वयन विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चयनित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।

19. **भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलापः** इस योजना को देश में छोटी और लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए अभिकल्पित उपाय के रूप में और बहु-भाषी माहौल संवर्धित करने के लिए शुरु किए जाने का प्रस्ताव है जो सांस्कृतिक विविधता के सभी प्रकटनों के लिए समुचित सम्मान दर्शाता है। अभिचिन्हांकित स्थानीय जिलों/तहसीलों/नगरपालिका स्तर पर राज्य की अल्पसंख्यक भाषाओं में सभी महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि के अनुवाद के लिए सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है; जहां अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले 15% हों या स्थानीय जनसंख्या अधिक हो जैसाकि भाषायी अल्पसंख्यक हेतु सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रूप से सहमत योजना में व्यवस्था है। इस नई स्कीम को 2010-2011 के दौरान तैयार किया जाएगा।

20. **लघु अस्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजनाः** इस नई योजना को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में सहायता अनुदान में 100% केन्द्रीय निधियन के साथ शुरु करने का प्रस्ताव है। यह योजना संबंधित लघु अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों/एनजीओ/सोसायटियों द्वारा कार्यान्वित होगी। योजना का उद्देश्य लघु अल्पसंख्यक समुदायों में जनसंख्या में गिरावट की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना है।

21. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश :** यह प्रावधान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को शेयर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए है।

22. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान :** यह प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।